सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00161

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 54/2018

1. पुष्पारानी पत्नी श्री हंसराज जाति भड़भूंजा निवासी वार्ड नम्बर 15, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर राज0।

अपीलार्थिया

बनाम

1.बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर

2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1.श्री अमित स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थीया

2.सीडीपीओ श्रीकरनपुर

आदेश — दिनांक : 16-08-2019

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर में सहायिका के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 15 की होने के कारण शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा दिनांक 23.08.2018 को प्रार्थीया के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया और प्रार्थीया के आवेदन-पत्र को संशय मानते हुए रोक दिया गया। उपनिदेशक आईसीडीएस, श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2332 दिनांक 06.07.2018 के तहत आवेदन मांगे थे जिसके तहत प्रार्थीया ने नगरपालिका केसरीसिंहपुर वार्ड नम्बर 14 में आरक्षित पद ओबीसी (अन्य पिछडा वर्ग) पर सहायिका पद के लिए आवेदन किया। शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा अप्रार्थीया वार्ड नम्बर 15 की होने के कारण चयन नहीं किया गया जबकि परिपत्र के क्रम संख्या 2(ए)(1) स्थानिय निवासी होना- शहरी क्षैत्र में आंगनबाडी केन्द्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की दशा में आंगनबाडी केन्द्र निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। दिनांक 14.09.2018 को श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर को भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव से, विधि विरूद्व नियमों विरूद्व तथा चयन समिति में पार्षद महोदय को बिना बुलाये ही प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को रोका गया और प्रार्थीया को स्पष्ट कहा गया कि आपके प्रार्थना पत्र पर अब कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रार्थीया का केवल मात्र एक ही आवेदन-पत्र पेश किया गया था अन्य किसी महिला ने इस पद हेतु आवेदन नहीं किया गया इसके बावजूद भी प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया इससे स्पष्ट होता है कि शहरी चयन समिति द्वारा वार्ड नम्बर 14 में सहायिका का पद खाली रखना इनकी मंशा करना है ताकि बाद में अपने किसी चहेते को उसमें चयनित कर सकें। प्रार्थीया ओबीसी की महिला है तथा कक्षा 10वीं तक पढ़ी लिखी है तथा बीपीएल परिवार से है व लड़का विकलांग है और तीन

16/8/19

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

लड़किया है तथा प्रार्थीया एक गरीब महिला है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर ने अपना जबाब जरिये पत्रांक 1501 दिनांक 22.11.2018 प्रस्तुत कर अंकित किया कि आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 14 के सहायिका हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, के द्वारा पत्रांक 2232 दिनांक 06.07.2018 से विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि 27 जुलाई 2018 रखी गई। अन्तिम दिनांक तक अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय को 8 आवेदन प्राप्त हुए। अपीलार्थिया श्रीमती पुष्पादेवी वार्ड नम्बर 15 की निवासी एवं जारी विज्ञप्ति से अन्य वार्ड की है। वार्ड नम्बर 14 की स्थाई महिला उपलब्ध है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2018 को चयन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदकों से वार्ड नम्बर 14 के स्थाई निवासी होने के दस्तावेज चाहे गये चयन अब विचाराधीन एवं पैडिंग है। श्रीमति पुष्पादेवी उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखती है चूंकि स्थानीय वार्ड के आवेदन नहीं होने पर अन्य वार्ड से प्राप्त आवेदनों पर विचार किये जाने का प्रावधान है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने वक्त बहस अवगत कराया गया कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर में सहायिका के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 15 की होने के कारण शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा दिनांक 23.08.2018 को प्रार्थीया के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया और प्रार्थीया के आवेदन–पत्र को संशय मानते हुए रोक दिया गया। उपनिदेशक आईसीडीएस, श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2332 दिनांक 06.07.2018 के तहत आवेदन मांगे थे जिसके तहत प्रार्थीया ने नगरपालिका केसरीसिंहपुर वार्ड नम्बर 14 में आरक्षित पद ओबीसी (अन्य पिछडा वर्ग) पर सहायिका पद के लिए आवेदन किया। शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा प्रार्थीया वार्ड नम्बर 15 की होने के कारण चयन नहीं किया गया जबकि परिपत्र के क्रम संख्या 2(ए)(1) स्थानिय निवासी होना– शहरी क्षैत्र में आंगनबाडी केन्द्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की दशा में आंगनबाडी केन्द्र निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। प्रार्थीया ओबीसी की महिला है तथा कक्षा 10वीं तक पढ़ी लिखी है तथा बीपीएल परिवार से है व लड़का विकलांग है और तीन लड़किया है तथा प्रार्थीया एक गरीब महिला है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया कर न्याय प्रदान करने की कृपा करें ।

बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में जबाब के बिन्दुओं अनुसार ही निवेदन किया कि आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 14 के सहायिका हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, के द्वारा पत्रांक 2232

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 06.07.2018 से विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि 27 जुलाई 2018 रखी गई। अन्तिम दिनांक तक अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय को 8 आवेदन प्राप्त हुए। अपीलार्थिया श्रीमती पुष्पादेवी वार्ड नम्बर 15 की निवासी एवं जारी विज्ञप्ति से अन्य वार्ड की है। वार्ड नम्बर 14 की स्थाई महिला उपलब्ध है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2018 को चयन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदकों से वार्ड नम्बर 14 के स्थाई निवासी होने के दस्तावेज चाहे गये चयन अब विचाराधीन एवं पैडिंग है। श्रीमति पुष्पादेवी उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखती है चूंकि स्थानीय वार्ड के आवेदन नहीं होने पर अन्य वार्ड से प्राप्त आवेदनों पर विचार किये जाने का प्रावधान है।

हमने अपीलार्थी के अपील मीमों, रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश जबाब एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों का गहनता से मनन किया है कि आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 14 के सहायिका हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, के द्वारा पत्रांक 2232 दिनांक 06.07.2018 से विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि 27 जुलाई 2018 रखी गई। अपीलार्थिया श्रीमती पुष्पादेवी वार्ड नम्बर 15 की निवासी एवं जारी विज्ञप्ति से अन्य वार्ड की है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर रिपोर्ट क्रमांक 1501 दिनांक 22.11.2018 के अनुसार वार्ड नम्बर 14 की स्थाई महिला उपलब्ध है। उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा वार्ड नम्बर 14 के अन्य आवेदको से स्थाई निवासी होने के दस्तावेज चाहे जाने पर उक्त बैठक को विचाराधीन एवं पैडिंग है। चूंकि अभी चयन प्रकिया विचाराधीन है तथा अंतिम/चयन आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः यह अपील प्रीम्चोर होने से अभी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थिया अंतिम चयन आदेश जारी होने के उपरान्त नवीन अपील पेश करने को स्वतंत्र होगी। उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर को निर्देशित किया जाता है कि चयन प्रकिया एक माह में पूर्ण करें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन) 16/8/19

अति0 जिला कलक्टर

(प्रशासन) श्रीगंगानगर।